कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन–02942412210

दिनांक : 17.02.2025

निविदा सूचना संख्या – DLSA/2024-25/12895

UBN No –

NIB No-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के कार्यालय के लिये दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिये सविदा पर मासिक किराये के आधार पर एक चार पहिया वाहन (Sedan/SUV/MUV) लगाया जाना है जिसके संबंध में इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	चार पहिया वाहन (Sedan/SUV/MUV) उपलब्ध कराना	4,00,000/-	8,000/-	200/-	25.02.2025 सांय 04.00 बजे तक	25.02.2025 सांय 04:15 बजे तक	25.02.2025 सांय 04:30 बजे

1. राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 19/07/2018 एवं No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 05/04/2022 में दिये गये निर्देशानुसार ही वाहन (Sedan/SUV/MUV) को संविदा पर मासिक किराये के आधार पर लेने के लिए संलग्न शर्तों के तहत उपलब्ध कराया जाना है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 200/– एवं प्रतिभूति राशि 8,000/– जरिये पृथक–पृथक डी.डी. जमा करानी होगी। डी.डी. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से बनाई जानी होगी। डी.डी. के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से राशि जमा नही होगी।

17-2-25

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

उदयपुर

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन–02942412210

खुली बोली प्रपत्र 1 – (तकनीकी बोली)

1- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता व मोबाईल नंबर..
....
....
....

2- निविदा शुल्क रुपये 200/– जरिये डी.डी. संख्या संख्या ....दिनांक.. के द्वारा जमा करवा दी गई है।

3- बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि रुपये 6000/– जरिये डी.डी. संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करवा दी गई है।

4- बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

S. No.	Particulars	Number and Year	Date	Annexure No.
1.	वाहन के मॉडल एवं रजिस्ट्रेशन का विवरण			
2.	वाहन के इन्श्योरेंस का विवरण			
3.	वाहन के Fitness Certificate का विवरण			
4.	वाहन के PUC का विवरण			
5.	वाहन के Tourist Permit का विवरण			
6.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) (यदि हो तो)			
7.	स्थायी खाता संख्या (PAN Number)			
8.	बैंक खाते के विवरण के लिये निरस्त किया हुआ चेक			

नोटः–नियमानुसार जो भी लागु हो, उसमे सम्पूर्ण सूचनायें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- मै/हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा जारी की गई खुली बोली सूचना संख्या दिनांक **12.02.2025** में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली सूचना को सभी सामान्य/विशिष्ठ/अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करतें है।

6- मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी उपबन्धों के सभी उपबन्धों, समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन सहित से यथावत बाध्य होना भी स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

K 13.2.25

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन–02942412210

खुली बोली प्रपत्र 2 – (वित्तीय बोली)

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 19/07/2018 एवं No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 05/04/2022 में दिये गये निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये, एक वाहन (Sedan/SUV/MUV) को संविदा पर मासिक किराये के आधार पर लेने के लिए संलग्न शर्तों के तहत उपलब्ध कराने के लिये हमारी दरें निम्नानुसार रहेगीः–

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	संख्या	मासिक किराया (बिना जी.एस.टी के)
1		01 (एक)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

फोन नं. 0294–2412210, ई–मेलः dlsa35udaipur@gmail.com

दिनांक : 17.02.2025

संविदा पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के लिये एक चार पहिया वाहन (Sedan/SUV/MUV) को संविदा पर मासिक किराये के आधार पर लेने के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 19/07/2018, No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 05/04/2022 एवं No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 03/10/2023 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के तहत उपलब्ध कराया जाना है:–

1. वाहन ऐसी किसी फर्म/व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है जिसके नाम पर टेक्सी रजिस्टर्ड नम्बर का वाहन उपलब्ध हो।
2. यह कि उक्त वाहन कार्य आदेश की दिनांक से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये संविदा पर मासिक किराये के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
3. वाहन Sedan, SUV अथवा MUV में से किसी प्रकार का होगा। अन्य कोई प्रकार का वाहन स्वीकार नही होगा। दिनांक 31.03.2026 को वाहन 6 वर्ष से अधिक पूराना नही होना चाहिये।
4. वाहन की एक माह में कुल 1500 कि.मी. की रनिंग रहेगी तथा माह की एक तारीख से माह की अंतिम तारीख तक अवकाश के दिनों को शामिल करते हुए वाहन मय वाहन चालक कार्यालय के लिये उपलब्ध कराना होगा।
5. वाहन किराये पर लेने के लिये भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

   अ. प्रथम 1500 कि.मी. तक और 1500 कि.मी. से कम होने पर भी भुगतान रूपये 28900/– किया जायेगा।

   ब. एवं 1500 कि.मी. के अतिरिक्त रूपये 10/– प्रति कि.मी. का भुगतान किया जायेगा। परन्तु अधिकतम भुगतान 32700 से अधिक नही किया जायेगा।

   सेवा कर (यदि लागू हो तो) अतिरिक्त जमा किया जायेगा।

6. उदयपुर जिले के बाहर राजस्थान राज्य में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर डाईवर को 300/– रूपये प्रति रात्रि पडाव भुगतान किया जायेगा। वाहन को जयपुर स्थित मुख्यालय पर ले जाया जाने पर किसी भी तरह का रात्रि पडाव भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. टोल टेक्स का भुगतान सर्वप्रथम डाईवर द्वारा किया जायेगा एवं माह के अंत में सभी टोल टेक्स की रसीदे कार्यालय में प्रस्तुत करने पर वाहन मालिक को पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा।
8. वाहन मालिक को मासिक भुगतान नियमानुसार ऑनलाईन या चैक के माध्यम से किया जाएगा।
9. यह कि यह वाहन वातानूकुलित होगा और यदि किसी समय वातानूकुलन में खराबी पाई जाती है तो वाहन मालिक वातानूकुलन खराबी को अविलम्ब सही करवाएगा।
10. वाहन मालिक, वाहन के सीटों का कवर सफेद रखेगा। जब सीट कवर गंदे हो जाए तो उनकी धुलवाई वाहन मालिक द्वारा करवाई जाएगी।

17-2-25

फोन नं. 0294–2412210, ई–मेल: dlsa35udaipur@gmail.com

11. वाहन मालिक, वाहन के अन्दर सदैव प्राथमिक चिकित्सा किट रखेगा तथा वाहन के अन्दर सदैव वाहन के आवश्यक उपकरण जैसे जैक, जैक पाना होगा तथा एक अतिरिक्त स्टेपनी उपलब्ध रहेगी।

12. वाहन मालिक वाहन को सदैव मेन्टेन अवस्था में रखेगा तथा करारित वाहन ही उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाने पर वाहन मालिक, कार्यालय को अविलम्ब दूसरा वाहन (जो कि टेक्सी रजिस्टर्ड होना चाहिये) उपलब्ध कराया जाएगा तथा वाहन रास्ते में खराब होने पर वाहन मालिक, वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारी, स्टाफ को नियत स्थान पर पहूचांने के लिये दूसरे वाहन का अविलम्ब बंदोबस्त करेगा। ऐसा दूसरा वाहन इसी प्रकार या बेहतर कन्डीशन में होगा।

13. वाहन मालिक द्वारा भेजा गया वाहन चालक धुम्र व मद्यव्यसनी नहीं होगा। यदि किसी भी समय वाहन चालक वाहन चलाने के दौरान मद्यावस्था में पाया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी। वाहन मालिक यह दायित्व स्वीकार करेगा है कि वाहन चालक अपना व्यवहार मर्यादित तथा न्यायपालिका की गरिमा के अनुरुप रखेगा तथा समस्त यातायात संबंधी नियमों का पालन करेगा।

14. यह कि वाहन पूर्णतया बीमित होगा। बीमा व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाऐगा। यह कि वाहन संबंधित सारे अन्य कर वाहन मालिक द्वारा वहन किये जाऐंगे।

15. यह कि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होगा तथा वह वाहन सेवाओं के दौरान सदैव लाइसेंस धारण करेगा।

16. वाहन किराया अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा अनुबंधित वाहन/वाहन चालक की किन्हीं कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य वाहन/वाहन चालक की व्यवस्था अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य वाहन के उपयोग में लिये जाने पर उस पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण संबंधित अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

17. अनुबंधित फर्म/व्यक्ति/ वाहन मालिक वाहन में जी.पी.एस. की सुविधा लगायेंगें और उसका Login-id तत्काल इस कार्यालय में Password के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे।

18. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने अथवा अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार कार्यालयध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

18-2-25